

कार्यालय नगर पालिका मण्डल सुमेरपुर

क्रमांक-F.1/20/8355

दिनांक: 04.09.2020

आपत्ति आमंत्रण आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सुमेरपुर के परिधि नियंत्रण क्षेत्र के ग्राम कोलावाड़ा में शिल्पाली फिल्म सिटी मुम्बई द्वारा अधोलिखित खसरो में उनके नाप के आगे अंकित भूमि का फिल्म सिटी प्रयोजनार्थ आवंटन चाहा गया है।

क्र.स.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	870	0.61
2.	871	0.53
3.	872	0.58
4.	873	1.20
5.	874	4.89
6.	876	0.73
7.	879	0.82
8.	888 / 1205	0.82
9.	889	2.15
10.	890	8.02
11.	891	0.73
12.	892	0.28
13.	875	20.64
14.	877	01.14
15.	894	18.25
कुल		61.39 हेक्टेयर

वर्णित खसरो का कुल रकबा 61.39 हेक्टेयर है।

निजी कम्पनी अथवा साझेदार फर्म, व्यक्तियों को भूमि का आवंटन निम्न दर पर किये जाने का प्रावधान है :-

क्र.स.	प्रयोजन	विकसित	अविकसित
1.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	आरक्षित दर के 150 प्रतिशत पर + 15 प्रतिशत	कृषि भूमि की डीएलसी दर की 150 प्रतिशत + 20 प्रतिशत पर
2.	सार्वजनिक/अन्य प्रयोजनार्थ	आरक्षित दर के 200 प्रतिशत पर + 15 प्रतिशत	कृषि भूमि की डीएलसी दर की 200 प्रतिशत + 20 प्रतिशत पर

वर्तमान में उप पंजियक कार्यालय सुमेरपुर जिला पाली द्वारा वर्णित क्षेत्र की दरें निम्नानुसार है :-

आवासीय प्रयोजनार्थ - 918/- रुपये प्रति वर्गमीटर (मुख्य मार्ग पर स्थित भूमियों हेतु)


आवासीय प्रयोजनार्थ - 828/- रुपये प्रति वर्गमीटर (मुख्य मार्ग से दुर स्थित भूमियों हेतु)

व्यावसायिक प्रयोजनार्थ - 2880/- रुपये प्रति वर्गमीटर

उपरोक्त आपत्ति विज्ञापित की सूचना प्रकाशित कर लेख है कि किसी भी व्यक्ति, आम खास, निगम, बोर्ड, सरकारी, गैर सरकारी संस्थान को वर्णित आवंटन प्रक्रिया से कोई ऐतराज या आपत्ति है तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति लिखित में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सुमेरपुर या निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को उपलब्ध करवा सकते है।

बाद मियाद समाप्ति के राज्य सरकार के स्तर पर आवंटन नितियों के अनुरूप नियमानुसार कार्यावाही प्रारम्भ कर ली जावेगी। बाद मियाद समाप्ति कोई ऐतराज/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सूचित रहे


अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, सुमेरपुर